## महत्वपूर्ण एवं खास

### उर्वरक नमूना अमानक पाये जाने पर हुई कार्यवाही

**रायगढ़।** अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) एवं उप संचालक कृषि रायगढ़ ने सेवा सहकारी समिति मर्यादित सहसपुर, सारंगढ़ जिला-रायगढ़ द्वारा उर्वरक डीएपी तथा मेसर्स उदित बीज भण्डार धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ द्वारा सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक नमूना अमानक पाये जाने के फलस्वरूप जिले में इस उर्वरक स्कंध का भण्डारण वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। इसी तरह मेसर्स भावेश ट्रेडर्स सालर, सारंगढ़ के द्वारा यूरिया उर्वरक का निर्धारित दर से अधिक दर पर कृषकों को बेचा जा रहा था, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश का घोर उल्लंघन है। जिसके चलते भावेश ट्रेडर्स का उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र को आगामी आदेश तक निलंबन किया जाता है। निलंबन अवधि में उर्वरक खरीदी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

### जिले में 698.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

**रायगढ़।** चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 4 सितम्बर तक 698.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 5.7 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 685.2 मिली मीटर, पुसौर में 795.5, खरसिया में 633.5, सारंगढ़ में 721.5, बरमकेला में 585.0, घरघोड़ा में 713.9, तमनार में 610.3, लैलूंगा में 755.1 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 783.3 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

### डाक जीवन बीमा के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष शिविर 7 सितम्बर को

**रायगढ़।** कार्यालय अधीक्षक डाकघर रायगढ़ संभाग द्वारा 7 सितम्बर 2021 को पूर्वान्ह 10.30 बजे तक कलेक्टोरेट परिसर स्थित सृजन प्रशिक्षण भवन में डाक जीवन बीमा के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें डाक विभाग के जनहितैषी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा।

### प्री.इंजीनियरिंग एवं प्री.मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु एसटी, एससी विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित

**रायगढ़।** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण, 100 अभ्यर्थी (64 अनुसूचित जनजाति, 36 अनुसूचित जाति) जो ड्राप लेकर इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते है। ऐसे इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 17 सितम्बर 2021 सायं 4 बजे तक जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में जमा कर सकते है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकते है।

### हाथियों ने उत्पात मचाते ग्रामीणों की रौंदी फसल

**कोरबा (आरएनएस)।** वन मंडल कटघोरा के पसान रेंज में मौजूद हाथियों के दल ने शुक्रवार की रात अलग-अलग समूहों में बटकर बीजाडांड़, रानी अटारी, पनगवां, सेमरहा, बर्रा व हर्रा गांव में पहुंच गये। और यहां भारी उत्पात मचाते हुए कई ग्रामीणों की फ़सल रौंद दी।

# गिरदावरी की जांच करने खेतों में पहुंचे कलेक्टर

**» लोइंग और जामगांव में हुई गिरदावरी का किया निरीक्षण**

**» खसरावार फसल रकबे की एंट्री करने के दिये निर्देश**

**रायगढ़ ।** जिले में गिरदावरी का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर भीम सिंह आज गिरदावरी के निरीक्षण में लोइंग और जामगांव पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के खेतों में जाकर मौका मुआयना किया और पटवारी द्वारा किये गए गिरदावरी की खसरा व नक्शा से मिलान कर जांच की। किसानों द्वारा लगायी गयी फसल और खसरावार एंट्री की गयी जानकारी को देखा। उन्होंने कहा कि खसरा अनुसार कितने रकबे में फसल लगायी गयी है, कौन सी फसल लगायी गयी है, कितनी जगह पर फसल नहीं लगायी गयी है अथवा जगह खाली है उसकी पूरी एंट्री रिकॉर्ड में करें।

कलेक्टर सिंह आज गिरदावरी के निरीक्षण में सबसे पहले लोइंग पहुंचे। यहां उन्होंने पटवारी द्वारा की गयी गिरदावरी के अनुसार रिकॉर्ड में हुई एंट्री की खेतों में जाकर किसानों द्वारा ली जा रही फसल से मिलान किया। खेत में जिस स्थान पर बोर है अथवा झोपड़ी बनाई गई है, या नहर निकली हुई है उतने रकबे को घटाया गया है अथवा नही इसकी भी जांच की। उन्होंने यहां किसानों द्वारा की जा रही सब्जी की खेती को भी देखा। कलेक्टर सिंह ने कहा कि गिरदावरी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे किसानों द्वारा कितने रकबे में कौन सी फसल ली जा रही है इसकी पूरी जानकारी तैयार की जाती है। जिसके आधार पर किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। अतः यह पूरा कार्य पूरी गंभीरता से किया जाए। उन्होंने प्रत्येक खसरा क्रमांक के अनुसार उस रकबे में ली जा रही फसल की खेतों में जाकर जानकारी लेकर उसे इंद्राज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने इसके पश्चात जामगांव क्षेत्र में भी गिरदावरी कार्य का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने धान के बदले ली जा रही दूसरी फसल जैसे दलहन, तिलहन एवं वृक्षारोपण की जानकारी ली। किसानों द्वारा गत वर्ष और इस वर्ष ली जा रही फसलों के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और रिकॉर्ड में सभी जानकारी सही से इंद्राज करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने किसानों द्वारा ली जा रही रागी की फसल को भी देखा। कलेक्टर सिंह ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के बदले किसानों द्वारा ली जा रही दूसरी फसल के रकबे की पूरी जानकारी भी रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए कहा। जिससे किसानों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने शेष बचे गिरदावरी कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम रायगढ़ युगल किशोर उर्वशा व क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी सहित किसान व ग्रामीण जन मौजूद रहे।

## अनियंत्रित मोटर सायकल पेड़ पर टकराया, दो की मौत, एक घायल

**रायगढ़।** वाहन चलाते समय बरती गई लापरवाही के कारण आज दिनांक 04/09/2021 के भोर में पुलिस चौकी जोबी अन्तर्गत सड़क दुर्घटना में बाइक में सवार तीन लोगों में दो व्यक्ति मौके पर ही दम तोड़ दिये एक व्यक्ति घायल है, जिसका ईलाज खरसिया अस्पताल में जारी है। घटनास्थल को देखने पर बाइक की तेज गति दुर्घटना का कारण ज्ञात होता है। जानकारी के अनुसार आज दिनांक 04.09.2021 के सुबह ग्राम देहरसुंआ चरखाडार थाना करतला जिला कोरबा निवासी श्रवण राठिया पिता रूपलाल राठिया उम्र 22 वर्ष, परमेश्वर राठिया पिता नेहरू राठिया उम्र 19 साल और नेहरू नरेन्द्र राठिया मोटर सायकल सीजी 12-एजे-1124 से खरसिया की ओर आ रहे थे। बाइक को श्रवण राठिया चला रहा था बाइक की गति इतनी थी कि श्रवण बाइक की गति पर नियंत्रण नहीं रख सका और जोबी जाने के मेनरोड़ पर बिंझरा नर्सरी काफरमार मेनरोड के किनारे महुआ झाड़ को ठोंकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे श्रवण राठिया व परमेश्वर राठिया का मौके पर फौत हो गया तथा नरेन्द्र कुमार राठिया को गंभीर चोटें आयी जिसे डॉयल 112 वाहन से ईलाज के लिये खरसिया अस्पताल पहुंचाये 7 घटना के संबंध में ग्राम कोटवार काफरमार के रिपोर्ट पर वाहन चालक श्रवण राठिया के विरूद्ध थाना खरसिया (जोबी) अप.क्र. 540/2021 धारा 279, 337, 304(ए) आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

## मुल्जिम के फरार होने के मामले में एसपी ने गार्ड इंचार्ज को किया निलंबित

**रायगढ़।** दिनांक 01/09/2021 को जिला न्यायालय रायगढ़ मुल्जिम पेशी में लाए गए 18 नफर मुल्जिमों से मुल्जिम मार्शल यादव न्यायालय परिसर के बंदीगृह से फरार हो गया था। मामले में प्रथम दृष्ट्या गार्ड इंचार्ज प्रधान आरक्षक सागर सिदार की लापरवाही पाते हुए एसपी अभिषेक मीणा द्वारा आज दिनांक 04/09/2021 को रक्षित निरीक्षक के प्रतिवेदन पर गार्ड इंचार्ज को निलंबित किया गया है।

ज्ञात हो कि दिनांक 01/09/2021 को रक्षित केंद्र रायगढ़ से गार्ड इंचार्ज प्रधान आरक्षक क्रमांक 208 सागर सिदार, प्रधान आरक्षक क्रमांक 80 ध्रुव विजय बंजारे के साथ 04 आरक्षकों की ड्यूटी जिला न्यायालय रायगढ़ मुल्जिम पेशी लगाई गई थी। कर्मचारियों द्वारा जिला जेल रायगढ़ से न्यायालय पेशी जाने वाले 18 नफर मुल्जिमों को सुरक्षापूर्वक जिला जेल से प्राप्त कर रायगढ़ न्यायालय शासकीय वाहन से लेकर आये और पूर्व की भांति न्यायालय परिसर में बने बंदीगृह में मुल्जिमों को दखिल किये। शाम करीब 16:10 बजे मुल्जिम मार्शल यादव पिता धन सिंह यादव उम्र 22 वर्ष निवासी मिठुमुडा रायगढ़ गार्ड इंचार्ज की लापरवाही से मौका देखकर फरार हो गया। सभी स्टाफ आसपास तलाश किये नहीं मिलने पर थाना चक्रधरनगर में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराये, जहां आरोपी मार्शल यादव पर धारा 224 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

रक्षित निरीक्षक रायगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में मुल्जिम के फरार होने में प्रधान आरक्षक क्रमांक 208 सागर सिदार की लापरवाही बताया गया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा गार्ड इंचार्ज को निलंबित किया गया है। निलंबित कर्मचारी का मुख्यालय रक्षित केन्द्र होगा, जिस नियमानुसार जीवन निवर्हन भत्ता प्राप्त होगा।

## शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

**» फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ ने दी सजा**

**रायगढ़।** दिनांक 03/09/2021 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, (एफटीसी) रायगढ़ की पीठासीनअधिकारी श्रीमती पल्लवी तिवारी के न्यायालय में पास्को, एट्रोसिटी एक्ट के मामले में आरोपी रमजान खान पिता महबूब खान मुसलमान उम्र 21 वर्ष निवासी व थाना कापू जिला रायगढ़ को नाबालिक बालिका (15 साल) को भगा ले जाकर उसका शारीरिक शोषण करने का दोषी पाया गया जबकि आरोपी बालिका को नाबालिग एवं विशेष वर्ग की होना भलि भांति जानता था। फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ के न्यायालय में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए दलितों एवं साक्ष्यों को उर्पयुक्त पाते हुए आरोपी को धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आजीवन कारावास व 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले में आरोपी पर एट्रोसिटी एक्ट की धारा आरोपित किये जाने पर प्रकरण की विवेचना तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर द्वारा की गई है। माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर से मोहन सिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्त की ओर तेजराम पटेल, पैनल अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई है।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10/06/2019 को थाना कोतरारोड़ में नाबालिग बालिका के पिता द्वारा दिनांक 10/06/2021 के दोपहर इनकी गैर मौजूदगी में बालिका को रमजान खान बलपूर्वक भाग ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया था , जिस पर थाना कोतरारोड़ में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 127/2019 धारा 363 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दरम्यान बालिका को रमजान खान के घर कापू से दस्तयाब किया गया। बालिका के कथन पर धारा 366, 376 आईपीसी 6 पास्को एक्ट एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(5) विस्तारित कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण की प्राथमिक विवेचना सहायक उप निरीक्षक डीपी भारद्वाज द्वारा की गई , जिसके बाद डायरी नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर द्वारा अपने हस्ते लेकर सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय प्रस्तुत कराया गया। आरोपी को आरोपित सभी धाराएं 363, 366, 376(3) आईपीसी 6 पास्को एक्ट एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(5) में अर्थदंड के साथ दंडित किया गया है, जिसमें उसे एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं में आजीवन कारावास का दंड मिला है।

## कम बरसात के बीच नरवा बना किसानों के लिए संजीवनी

**रायपुर (आरएनएस)।** राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सुराजी गांव के तहत नरवा के संरक्षण एवं विकास से किसानों को अब जमीनी स्तर में लाभ मिलना शुरू हो गया है। बलौदाबाजार जिलें के कसडोल विकासखण्ड के अंर्तगत बहने वाली परसदा नाला के नरवा संरक्षण एवं विकास संरचनाओं से 3 ग्राम पंचायतों के 17 किसान लाभांवित हो रहें है, जिससे कम बरसात के बीच मे यह नाला किसानों के लिए संजीवनी बूटी की तरह साबित हो रही है। परसदा नाले में कुल 139 प्रकार के कार्य का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें 10 ब्रशवुड चेक,1लुज बोल्डर बंड,93 लुज बोल्डर चेकडेम,15 लुज बोल्डर गली प्लग, 10 स्टेगर्ड लुज बोल्डर बंड एवं 10 गेबियन शामिल है। इस प्रकार परसदा नाला में 139 प्रकार के संरचना का नरवा विकास के तहत निर्माण किया गया है। इस संरचना निर्माण से 3 ग्राम पंचायतो के 17 किसानो के द्वारा लगभग 48 एकड़ भूमि पर डबल फ़सल लिया जा रहा है। नाला में सरंचना निर्माण से तीन ग्राम पंचायतो में करीब 31.34 एकड़ सिंचित रकबा में वृद्धि हुई है। ग्राम परसदा निवासी पल्टूराम मंडावी पिता शिवशंकर मंडावी ने बताया कि वह अपनें 1 एकड़ खेत एवं बाड़ी में सतत रूप से सब्जी बाड़ी का कार्य किया जा रहा है, जिसमें नरवा के पानी का उपयोग उनकें द्वारा लिया जाता हैं। इससे पल्टूराम मंडावी को 2 वर्षो में औसतन 1 लाख रुपये की वार्षिक आमदनी प्राप्त हुई है।

## मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार ने किए चोखेन्द्र के सपने सच

**रायगढ़।** शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अव्वल रहने वाले चोखेन्द्र सिंह ठाकुर को हमेशा से एक उद्यमी बनने का सपना था। स्नातक तक की पढ़ाई के पश्चात कपड़ा व्यवसाय के माध्यम से खुद का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते थे। संयुक्त परिवार और आय का कोई साधन नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना ने चोखेन्द्र सिंह ठाकुर के सपनों को उड़ान भरने में मदद की।

तमनार निवासी चोखेन्द्र सिंह ठाकुर का संयुक्त परिवार है। आय का कोई स्थायी जरिया नहीं था। जिससे अपने खुद का व्यवसाय प्रारंभ कर सके। बैंकों से भी ऋण मिल पाने की संभावना नहीं दिख रही थी। ऐसी स्थिति में व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से लाभान्वित हितग्राही के माध्यम से चोखेन्द्र को योजना की जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से योजनान्तर्गत विस्तृत जानकारी ली।

चोखेन्द्र सिंह ठाकुर को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक तमनार जिला-रायगढ़ से 01 लाख 80 हजार रुपये का ऋण स्वीकृति/वितरण के पश्चात आज चोखेन्द्र सिंह द्वारा कपड़ा व्यवसाय संचालित किया जा रहा है। स्वीकृति राशि में उन्हें 18 हजार अनुदान राशि भी प्राप्त हुई। अपने साथ ही वे इस व्यवसाय के माध्यम से अन्य तीन लोगों को भी रोजगार दे रहे है। वर्तमान में चोखेन्द्र का व्यवसाय बढ़िया चल रहा है और वे समस्त मासिक खर्च के बाद भी एक बड़ी रकम बचत कर पा रहे है। चोखेन्द्र का कहना है कि वे इन पैसों से अब अपने व्यवसाय को विस्तार देना चाहते है। जिससे बड़ा मुनाफा के साथ ज्यादा लोगों को रोजगार दिला सके। चोखेन्द्र ने अपने जीवन में आए इस बदलाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

## पत्नी से हुआ विवाद तो पिता ने बेटी को किया आग के हवाले

**दुर्ग (आरएनएस)।** घरेलू विवाद के चलते एक निर्दयी पिता ने अपनी मासूम बेटी को आग के हवाले कर दिया। उक्त घटना दुर्ग जिले के पोटियाकला की है। महिला की शिकायत के बाद पुलगांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी तीरथ पटेल का अपनी पत्नी से विवाद कर उसे पीट रहा था ये सब देख बेटी ने पिता को मारपीट करने से रोका। वहीं बेटी का टोकना पिता को इतना बुरा लगा कि जान से मारने के लिए मासूम को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उसकी मां ने मासूम को बचाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची आग से 70 प्रतिशत झुलस गई है। मामले की सूचना पर पुलगांव थाना पुलिस ने आरोपी तीरथ पटेल को गिरफ्तार किया है।

## डीपीएमके फर्टिलाइजर प्रा.लि.के खरसिया के उर्वरक प्रमाण पत्र को किया गया निलंबित

**» निलंबन अवधि में उर्वरक खरीदी बिक्री रहेगी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित**

**रायगढ़।** अनधिकृत रूप से उर्वरक का वितरण करने व इससे संबंधित जानकारी नहीं देने के चलते डीपीएमके फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, खरसिया के उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उर्वरक खरीदी बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

ज्ञात हो कि उप संचालक कृषि रायगढ़ द्वारा डीपीएमके फर्टिलाइजर प्राईवेट लिमिटेड खरसिया को पत्र के माध्यम से जानकारी चाही गई थी कि 31 जुलाई 2021 को कंपनी द्वारा लाया गया रेक में से पूरा माल 3 हजार मि.टन कंपनी के निर्देशानुसार मार्कफेड गोडाउन एवं जिला सहकारी समिति को दिया गया एवं 6 अगस्त 2021 को लाया गया रेक में से कंपनी के निर्देशानुसार 1350 मि.टन निजी उर्वरक विक्रेता को प्रदाय किया गया व उर्वरक निरीक्षक नृपराज डनसेना द्वारा प्रतिबंधित उर्वरक व मौके पर वितरण हेतु शेष 352.26 मि.टन उर्वरक को प्रेमचंद गोदाम बाम्हनपाली चौक खरसिया में भण्डारण करने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु डीपीएमके फर्टिलाइजर प्रा.लि. द्वारा उक्त उर्वरक को भी बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से बिना सूचना दिए उठाव कर वितरण कर लिया गया। निरीक्षक के दौरान पाया गया कि प्रतिबंधित उर्वरक की कोई मात्रा निर्धारित गोदाम में शेष नहीं है, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का घोर उल्लंघन है। डीपीएमके फर्टिलाइजर प्रा.लि.द्वारा मार्कफेड एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को कब-कब और कितनी-कितनी मात्रा में उर्वरक प्रदाय कि गई है चालान पावती सहित उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करने लेख किया गया था। किन्तु डीपीएमके फर्टिलाइजर प्रा.लि. द्वारा आज दिनांक तक उक्त जानकारी उप संचालक कृषि रायगढ़ को प्रदाय नहीं किया गया। डीपीएमके फर्टिलाइजर प्रा.लि. द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 खण्ड 35 (1)(बी)का घोर उल्लंघन है।

इस पर उप संचालक कृषि द्वारा 31 (2)के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये डीपीएमके फर्टिलाइजर प्रा.लि. उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र आरजीएच/ केएचए/ 13/2015 (थोक)एवं उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र क्र. आरजीएच/ केएचएस/ 31/ 2015 (फुटकर) को आगामी आदेश तक निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उर्वरक खरीदी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480